पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

दिनांक : 18 SEP 2020

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 20 / 1042

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
श्री वैष्णव इंस्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट,
स्कीम नं. 71, गुमास्ता नगर,
इन्दौर 452009

विषयः– महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भः आपका पत्र क्र. / श्रीवैप्रसं / संबद्धता / 2020, दिनांक 10 / 06 / 2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संबंध में लेख्य है कि आपके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में निम्नांकित पाठ्यक्रमो की सम्बद्धता निरंतरता शुल्क रूपये राशि 700920 / – एम.पी.ऑनलाइन आई.डी. क्र. 20022750803135483246 दिनांक 27.02.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये है।

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट सख्या
1	बी.बी.ए.	300
2	बी.सी.ए.	180
3	बी.एससी. (कम्प्युटर साइंस अति. विषय के साथ)	60
4	बी.एससी. (आई.टी. अति. विषय के साथ)	60
5	एम.बी.ए. (फायनेंसियल एडमिनिस्ट्रेशन)	60
6	एम.बी.ए. (फूलटाईम)	180

अतः उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2020–21 में सशर्त सम्बद्धता निरंतरता जारी है।

शर्तेः–

1. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
2. राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
3. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
4. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि ए.आई.सी.टी.ई. / यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय / संस्था का होगा।
5. परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र में निरंतरता / नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
7. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु रूपये 10 / – प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक / सम्बद्धता / 20 /

दिनांक 18 SEP 2020

प्रतिलिपिः–

1. उपकुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

उपकुलसचिव(शैक्ष.)